उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या-84/2020/413/69-1-20-102(सा)/97
लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-64 जी0आई0ए0/111-7-1990 दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा नेहरू रोजगार योजना हेतु राज्य स्तर पर वाहन चालक के एक अस्थाई पद के सृजन की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी, जिसकी निरन्तरता अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-115(1)/2019/69-1-19-102(सा)/97, दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा दिनांक 29.02.2020 तक के लिये जारी की गयी थी। राज्य स्तर पर गठित प्रकोष्ठ हेतु उक्त पद की आवश्यकता के आधार पर इसकी निरन्तरता पूर्ववत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि इसके पूर्व यह पद यदि समाप्त न कर दिया जाय।

2. उक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-02-रोजगार सेवाएं-101-रोजगार सेवाएं-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02.12.1998 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत जारी किये जा रहें हैं।

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-84/2020/413/69-1-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
3. नगर विकास अनुभाग-8/नगर विकास (लेखा प्रकोष्ठ), उ0 प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द्र ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।